न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 12 / 2023
GCMS No. : 2023/18

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		श्री भैरूलाल तेली पुत्र श्री लहरू लाल तेली मैसर्स बालाजी पाव भाजी जनता कॉलोनी पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 13-3-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा। अतः पत्रावली में अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 12.07.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स बालाजी पाव भाजी जनता कॉलोनी पाली पर गया। फर्म पर अप्रार्थी उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। दुकान में आमजन को विक्रय हेतु 05 किलो नारियल की चटनी रखी हुई थी जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर रूबरू गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कर तैयार किया गया। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएसए एक्ट के तहत ले रहा हुं, उक्त खाद्य पदार्थ नारियल की चटनी में से 02 लीटर चटनी वास्ते जांच हेतु 120/–रूपये में क्रय कर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने नारियल की चटनी को चार बोतलों में चार भागों में विभाजित कर प्रत्येक नमूना बोतल में 40–40 बून्द फॉरमेलिन की डालकर ढक्कन एयर टाइट किया गया। जिस पर डी.ओ.कोड व सिरियल नम्बर, नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित किये, जिसको पनीर के चारों नमुना बोतल पर चिपकाया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1474 अंकित किया एवं नमूने का विवरण दर्ज कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रार्थी ने गवाह एवं विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई। उक्त सीलबन्द नमूना खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./1404/एक्ट/2022/1418 दिनांक 22.07.2022 में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान से लिया गया नारियल चटनी का नमुना Sub Standrad पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub Standrad नारियल की चटनी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.07.2022 को अप्रार्थी की फर्म से जांच हेतु खाद्य पदार्थ नारियल की चटनी क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1474 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जाचं हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक एल.एस. / 1404 / एक्ट / 2022 / 1418 दिनांक 22.07.2022 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1474 को (Sub-standard) अमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। अप्रार्थी को प्रकरण में नोटिस जारी किये गये, जो बाद तामील प्राप्त होने क बावजूद भी असालतन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही किसी भी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। यह स्थिति अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति को दर्शाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर Sub-standard का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 20000 / – अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 13-3-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली